बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0–भवन / 11 / आरोप (निगम)–25 / 2025.........215......................... / पटना, दिनांक 15/7/26

कार्यालय आदेश

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–305 दिनांक–08.12.2017 द्वारा श्री अनिमेश पराशर को संविदा के आधार पर कनीय अभियंता के पद पर नियुक्त किया गया। सम्प्रति श्री पराशर विभागीय आदेश संख्या–136 दिनांक–29.06.2022 द्वारा अग्रिम योजना प्रमण्डल संख्या–01, पटना में संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर पदस्थापित है।

(2) श्री पराशर द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या–01 / 2019 के अन्तर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर नियुक्ति हेतु मानव भारती यूनिवर्सिटी, सोलन, हिमाचल प्रदेश से डिप्लोमा इन सिविल में उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण–पत्र के आधार पर आवेदन समर्पित किया गया। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पत्रांक–864, दिनांक–12.03.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि आयोग स्तर से भेजे गये जाँच दल के द्वारा श्री अनिमेश पराशर के सिविल में उत्तीर्णता की डिप्लोमा संबंधी प्रमाण–पत्रों की जाँच करायी गयी। जाँचोपरान्त मानव भारती यूनिवर्सिटी, सोलन, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या–1696–97, दिनांक–04.12.2024 द्वारा श्री अनिमेश पराशर का डिप्लोमा संबंधी प्रमाण–पत्र सत्यापित नहीं किया गया अर्थात इनका प्रमाण–पत्र फर्जी पाया गया है।

(3) श्री पराशर का डिप्लोमा प्रमाण पत्र बिहार तकनीकी सेवा आयोग के विधिवत जाँच में फर्जी पाये जाने के कारण कनीय अभियंता के संविदा नियुक्ति के संबंध में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–305 दिनांक–08.12.2017 द्वारा निर्धारित सेवा शर्त के आलोक में कार्यालय आदेश संख्या–263 दिनांक–18.08.2025 द्वारा **श्री अनिमेश पराशर, कनीय अभियंता (संविदा), अग्रिम योजना प्रमण्डल सं0–01, पटना का वेतन तत्काल प्रभाव से अवरूद्ध किया गया।**

(4) बिहार तकनीकी सेवा आयोग के प्रतिवेदन के आलोक में श्री पराशर से विभागीय पत्रांक–7718(भ) दिनांक–18.08.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री पराशर के पत्रांक–शून्य दिनांक–25.09.2025 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया। विद्वान महाधिवक्ता, बिहार के परामर्श के आलोक में विभागीय पत्रांक–2756(भ) दिनांक–19.03.2026 द्वारा श्री पराशर के प्रमाण पत्रों की भौतिक रूप से जाँच / सत्यापन हेतु विशेष टीम का गठन कर मानव भारती यूनिवर्सिटी (हमाचल प्रदेश) भेजा गया। टीम द्वारा श्री पराशर के प्रमाण पत्रों की जाँच भौतिक रूप से कर पत्रांक–2685 दिनांक–13.04.2026 द्वारा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का पत्र, पत्रांक–MBU/Acad/Veri/2009-10/2025/57-58 dated 09.04.2026 संलग्न करते हुए प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

(5) मानव भारती यूनिवर्सिटी, सोलन, हिमाचल प्रदेश के उक्त पत्र में अंकित है कि:–

"The Academic Credentials of Sh. Animesh Parashar having Admission / Registration No.RO9DCEG16580/R09DCEG17570 of Diploma Engineering (Civil) was again searched, but as per record provided by the SIT through Documents Verification Committee constituted under the Chairmanship of worthy Superintendent of Police, Solan, it has been gathered that the student concerned was not enrolled/Registered in Manav Bharti University for the year 2009-10 as already mentioned in verification letter No.MBU/Est./1-4/2024/-1696-97 dated 04.12.2024 (copy enclosed for reference) addressed to the Secretary, Incharge, Bihar Technical Services Commission, Patna (Bihar), which shows true position from academic record of Manav Bharti University.

कृ0पृ0उ0............

२२८२१

F:\Sumit Kumar Vatsa\2023\Rakesh Sir\Prarup Nigrani

(6) मानव भारती यूनिवर्सिटी, सोलन, हिमाचल प्रदेश के उक्त पत्र/प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री पराशर का डिप्लोमा प्रमाण पत्र फर्जी है।

(7) अतः डिप्लोमा प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने के कारण, कनीय अभियंताओं के संविदा नियोजन के सन्दर्भ में निर्गत विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–305 दिनांक–08.12.2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत **श्री अनिमेश पराशर, कनीय अभियंता (संविदा), अग्रिम योजना प्रमण्डल संख्या–01, पटना का संविदा नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।**

(8) प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

Dkumar Rao 15.07.26

(धर्मेन्द्र कुमार राव)
सरकार के अवर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन/11/आरोप (निगम)–25/2025 6508(4) / पटना, दिनांक– 15/7/26

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार गया/ सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Dkumar Rao 15.07.26

सरकार के अवर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन/11/आरोप (निगम)–25/2025 6508(1) / पटना, दिनांक– 15/7/26

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी संयुक्त सचिव/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग/अधीक्षण अभियंता भवन अंचल गया/अग्रिम योजना अंचल संख्या–01 एवं 02, पटना/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल गया/ अग्रिम योजना प्रमंडल संख्या–01/प्रशाखा पदाधिकारी, अराजपत्रित स्थापना प्रशाखा–03/श्री अनिमेश पराशर, कनीय अभियंता (संविदा), अग्रिम योजना प्रमण्डल सं0–01, पटना/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Dkumar Rao 15.07.26

सरकार के अवर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।